कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी,मेरठ।

संख्याः 193/29–1179

दिनांकः– ~~19 जनवरी~~ 05 फरवरी,2019

निविदा सूचना

सूचित किया जाता है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 को समयबद्ध एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु निम्नांकित कार्यो के लिये पंजीकृत तथा अनुभवी फर्मो से मुहरबन्द निविदाये दो सील बन्द लिफाफों (टैक्नीकल बिड एवं फाईनेंशियल बिड) में निर्धारित निविदा प्रपत्रों पर निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तो के अधीन आमन्त्रित की जाती हैः–

कमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित व्यय	जमानत राशि
1	2	3	4
01	टेन्ट, फर्नीचर, बेरीकेटिगं, व्यवस्था	10,00,000.00	1,00,000.00
02	प्रकाश / साउण्ड व्यवस्था	6,00,000.00	60,000.00
03	लेखन सामग्री व्यवस्था	6,00,000.00	60,000.00

मुहरबन्द निविदाऐं कार्यालय अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),मेरठ में रखे निविदा बाक्स में दिनांक– 15.02.2019 की अपरान्ह् 02 बजे तक डाली जा सकती हैं,जो उसी दिन अपरान्ह् 04.00 बजे निविदा समिति द्वारा निविदादाताओं की उपस्थिति में अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),मेरठ के कार्यकक्ष में खोली जाएगी। निविदादाता प्रत्येक व्यवस्था हेतु टैण्डर फार्म जिला निर्वाचन कार्यालय, मेरठ से निविदा पत्र शुल्क अंकन रु0–236.00 जमा कराकर दिनांकः–12.02.2019 को अपराहन् 04:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते है। जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी को कोई भी टैन्डर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदा के संबंध में शर्ते निविदा पत्र में दी गयी है।

(राम चन्द्र)
अपर जिलाधिकारी–प्रशासन /
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
मेरठ।

पत्रांक एवं दिनांक–यथोक्त

प्रतिलिपि :– निम्नाकितों को सूचनार्थ।

01.मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0,लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

02.निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

03.नाजिर सदर कलेक्ट्रेट, मेरठ।

04.नाजिर,विकास भवन, मेरठ।

05.जिला निर्वाचन कार्यालय, मेरठ का सूचना पट।

06.जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,मेरठ को इस आशय के साथ की निविदा सूचना जिले की वैबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

07.जिला सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त टैण्डर सूचना को सर्वाधिक प्रचलित दो दैनिक समाचार पत्रों में सःशुल्क छपवाना सुनिश्चित करें।

(राम चन्द्र)
अपर जिलाधिकारी–प्रशासन /
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
मेरठ।

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 (यथासंशोधित) के प्राविधानों एवं आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के आदेश सं0 335/पी0ए0–2018 दिनांक 17.01.2018 के क्रम में पंजीकृत समस्त ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से निम्न निर्माण कार्य की निविदा जिला पंचायत, मेरठ द्वारा दिनांक 08.2.2019 की दोपहर 2.00 बजे तक निम्नानुसार आमन्त्रित की जाती है, जिन्हें निविदा समिति द्वारा दिनांक 08.2.2019 को सांय 3.00 बजे इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में खोला जायेगा। निविदा एवं शर्ते जनपद की वेबसाईट (www.meerut.nic.in) पर दिनांक 05.02.2019 की प्रातः 11.00 बजे से उपलब्ध होगी तथा कार्य का विस्तृत विवरण, शर्ते किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला पंचायत में भी देखी जा सकती हैं। निविदा मूल्य जी0एस0टी0 सहित जिला पंचायत की जिलानिधि के सिंडिकेट बैक कचहरी शाखा मेरठ के खाता सं0 **88372200058745** में भी जमा कर सकते है। निविदा का विक्रय दिनांक 08.02.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में किया जायेगा व जमा का चालान, 2 प्रतिशत धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ के पक्ष में बन्धक हों एवं पजीकरण शुल्क रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।

नोट :–01– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति तक प्रत्येक चरण का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जायेगा और निर्माण कार्य का बोर्ड सुरक्षित लगे रहने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

02–किसी भी ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिये अनर्ह था या सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जायेगी।

03–निविदादाता को समस्त प्रपत्र कार्यालय में जमा करने होगें। टेन्डर के सम्बन्ध में शासन से यदि अन्य कोई निर्णय लिये जाते हैं तो ठेकेदार को मान्य होगें।

04–शासनादेश सं0 522/23–12–2012–2आडिट/08टी0सी0–2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Belowदेने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

अ–10 % Below तक दर पर 0.50 % प्रति 1.00 % कम(Below) दर के लिए ।

ब–10 % से अधिक Below तक दर पर 1.00 % प्रति कम(Below) दर के लिए।

05–कार्य प्रारम्भ की तिथि से पूर्व श्रम विभाग में कार्य एवं श्रमिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

06–लोक निर्माण विभाग के नवीनतम Specification एवं SOR के अनुरूप ठेकेदार को कार्य करना होगा।

07–निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्य की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मो से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नही होगा। किसी भी विवाद के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष/सक्षम अधिकारी का निर्णय अन्तिम व बन्धनकारी होगा।

08–निविदादाता/फर्म का वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य होगा तथा उनके सभी देयकों से निम्नानुसार सभी कर जैसे जी0एस0टी0, आयकर, लेबर सैस आदि जो समय –समय पर केन्द्र/राज्य सरकार से निर्धारित किया जाता है, की कटौती की जायेगी।

09–यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्यदिवस में डाली व खोली जायेगी।

10–मा0 अध्यक्ष /सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नही होगा।

11–सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

12–कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से लिखित में कार्यालय को अवगत कराना होगा।

13–कार्य की अनुमानित दरों में जी0एस0टी0, राज्य सरकार /भारत सरकार द्वारा देय अन्य कोई कर सम्मिलित नहीं है उक्त कर ठेकेदार को अलग से नियमानुसार देय होगें और उनकी नियमानुसार कटौती की जायेगी।

14–निर्माण 50 प्रतिशत पूर्ण होने पर जांच /टैस्ट कराये जायेगें । कार्य की संतोषजनक स्थिति की रिर्पोट आने पर ही अभियन्ता द्वारा आगे के कार्य किये जाने का आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य पर गुणवत्ता परीक्षण कराये जायेगें, जिसमें होने वाले व्यय को ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

15–एक ठेकेदार द्वारा एक सौल्वेन्सी सर्टिफिकेट का एक ही विभाग में प्रयोग किया जायेगा कुछ सौल्वेन्सी सर्टिफिकेट को बैंक व आयकर विभाग से भी सत्यापित कराया जायेगा और ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत आर्थिक स्थिति /सोल्वेन्सी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किये जाने पर उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	2% धरोहर राशि (हजार में)	निविदा मूल्य 18% जी0एस0टी0 सहित रू0 में	समयावधि माह में
1	ग्राम पावलीखुर्द में अमरीश के खेत से शमशानघाट की ओर अवशेष मि0 खंडजा कार्य	883360	17667	708	03

अभियन्ता
जिला पंचायत, मेरठ

34
Dio.NIC

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।
04-2-19

Recd LINK
06/02/19